पैरवी

पैरवी का यह दृढ़ विश्वास है कि जन-नीतियों और लोगों की अपेक्षाओं के बीच की दूरी को कम करना सफल लोकतंत्र के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है और नीति-निर्धारण में लोगों की आवाज़ को आगे लाने में सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पैरवी मध्य और उत्तर भारत में ज़मीनी स्तर पर किये जाने वाले एडवोकेसी के प्रयासों को सुदृढ़ और सहज करती है। इसके प्रमुख प्रयोजनों और हस्तक्षेपों में तृणमूल संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन, देश में मानवाधिकार संरचनाओं को सशक्त करना एवं बाल अधिकार, भोजन व आजीविका के अधिकार तथा आर्थिक व पर्यावरणीय न्याय तक पहुँच को प्रोत्साहित करना व जागरुकता बढ़ाना शामिल है।

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना भारत की संसद द्वारा लागू मानवाधि ाकार सुरक्षा अधिनियम, १६६३ के अंतर्गत हुई जो कि २८ सितम्बर १६६३ से प्रभावी है। इसका लक्ष्य अधिनियम में वर्णित अधिकारों की सुरक्षा करना है। आयोग जन-साधारण के मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनकी अधिकारों तक पहुँच बनाने के लिए प्रयासरत है। आयोग का प्रमुख उद्देश्य शासन प्रणाली की समीक्षा करना और उसे मानवाधिकारों के प्रति अनुवर्ती बनाना है। मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ित भी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग तक पहुँच सकते हैं।

आयोग मानवाधिकार उल्लंघन या अपराध को उकसाने की शिकायतों पर या इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही के विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका पर अथवा स्वतः पूछताछ कर सकता है। जाँच के आधार पर आयोग मानवाधिकार उल्लंघन या उल्लंघन को रोकने में लापरवाही के दोषी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग या कार्यवाही के लिए अनुशंसा कर सकता है। आयोग समुचित आदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश के लिए उच्च न्यायालय तक भी पहुँच बना सकता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ित या उसके परिवार को मुआवज़ा या अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु राज्य से सिफारिश कर सकता है। इसके कार्यों में शामिल हैं -

- किसी भी जेल अथवा राज्य सरकार के अधीन संस्था का दौरा, जहाँ लोगों को जीवन परिस्थितियों की सुरक्षा, सुध ार के तहत रखा जाता है का दौरा करना और उन पर सरकार के लिए अनुशंसा तैयार करना
- मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा दिये गए संरक्षण की समीक्षा करना और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना
- मानवाधिकारों के उपयोग को बाधित करने वाले कारकों, जिसमें आतंकवादी गतिविधियाँ भी शामिल हैं, की समीक्षा करना और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना
- मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना
- प्रकाशन, संचार माध्यम, संगोष्ठी एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए मौजूद संरक्षण के प्रति जागरुकता बढ़ाना और समाज के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकार साक्षरता को प्रसारित करना
- मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियाँ

पैरवी
जी-30, प्रथम तल
लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
दूरभाषः 011–29841266, 65151897
email: pairvidelhi@rediffmail.com

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग
पर्यावास भवन, जेल रोड, भोपाल-462011
दूरभाषः 0755–2572034, निःशुल्क संपर्कः 1800–2336399
फैक्सः 0755–2574028, email: mphrc@sancharnet.in
website: www.mphrc.nic.in

मध्यप्रदेश में बाल-विवाह

अधिकारों का अनवरत उल्लंघन

शोध अध्ययन प्रबंधन

पैरवी

सहयोग

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग

मध्यप्रदेश में बाल-विवाह
अधिकारों का अनवरत उल्लंघन

मध्यप्रदेश के भिण्ड, मुरैना एवं ग्वालियर जिले में बाल-विवाहों का त्वरित मूल्यांकन

संपादन : अजय कुमार झा

प्रमुख शोधकर्ता : विनोद कोष्टी

प्रकाशक :
पैरवी
जी-30, प्रथम तल, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
दूरभाषः 011–29841266
ईमेलः pairvidelhi@rediffmail.com, pairvidelhi1@gmail.com
वैबसाइटः www.pairvi.org

सहयोग :
मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग
पर्यावास भवन, जेल रोड, भोपाल-462011
दूरभाषः 0755–2572034, निःशुल्क संपर्कः 1800–2336399
फैक्सः 0755–2574028, ईमेलः mphrc@sancharnet.in
वैबसाइटः www.mphrc.nic.in

आवरण चित्र स्रोत : http://www.susandunn.cc/resiliency%20coach.htm

इसका समाधान यद्यपि स्पष्ट है परंतु साधारण नहीं। इसके लिए व्यापक विकास के नज़रिये की ज़रूरत है। बाल-विवाह का प्रतिबंध केवल कानून, रीति-रिवाज व स्वभाव से ही जुड़ा नहीं है बल्कि यह उतने ही समान रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य व सशक्तिकरण से भी प्रभावित होता है। ये लिंग समानता से जुड़ा है एवं महिलाओं की निर्णय लेने में भागीदारी से भी उतना ही संबद्ध है जितना कि समान रोज़गार एवं जीवन कौशल के अवसर से।

बाल-विवाह को समाप्त करने के लिए वर्तमान प्रयास इसकी रोकथाम पर ज्यादा केन्द्रित हैं। विवाह की उम्र में बढ़ोत्तरी, समुचित प्रोत्साहन व अवसर प्रदान करने से न केवल सांख्यिकीय परिणामों को बेहतर कर सकते हैं बल्कि लोगों के स्वभाव व व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा का मजबूतीकरण, अभिभावकों को बालिकाओं को निर्धारित आयु तक स्कूल भेजने हेतु प्रोत्साहित करना, वज़ीफ़ा आसानी से उपलब्ध कराना (मुख्य रूप से वंचित लोगों को) जैसे सभी उपाय बाल-विवाह को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं।

यह अध्ययन कुछ विशेष अनुशंसाऐं करता है, जो निम्न प्रकार हैं -

- सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करना
- शिक्षा तक पहुँच
- युवतियों को कौशल एवं आर्थिक अवसर प्रदान करना
- अविवाहित महिलाओं ख़ासकर उच्च माध्यमिक विद्यालय व उससे ऊपर तक शिक्षित लड़कियों को विवाह संबंधी कानून की शिक्षा एवं प्रशिक्षण व परामर्श देना
- जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को रोज़गार/एनआरएचएम के अंतर्गत सूचना-तंत्र को विकसित करना
- सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता
- कानूनों को सख़्ती से लागू किया जाना
- जन्म और विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीकरण
- जिन क्षेत्रों व जिलों में बाल-विवाह अत्यधिक प्रचलन में है वहाँ इसके अवलोकन व प्रतिबंध के लिये एक विशेष सेल की स्थापना
- विवाह अधिकारी के समक्ष दूल्हा व दुल्हन की उम्र की अनिवार्य रूप से घोषणा
- पुरुष वर्ग की बाल-विवाह को समाप्त करने के लिए किये जाने वाले वाद-विवाद एवं प्रयासों में सहभागिता
- युवतियों और महिलाओं में परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य की देखभाल की सेवाओं तक पहुँच को बेहतर करना
- ऐसे सहयोगी कार्यक्रम जो कि महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकते हों, को प्रारंभ करना
- बाल-विवाह के अभियुक्त के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम बनाना।
- विधिक तंत्र एवं कानून का अवलोकन करना
- सार्वजनिक व व्यक्तिगत कानूनों के बीच की दूरी कम करना
- नागर समाज की सहभागिता को प्रोत्साहित करना

इस प्रकार अध्ययन यह सुझाव देता है कि बाल-विवाह को नियंत्रित करने के सभी प्रयासों की पहल ज़मीनी स्तर से भारू होना चाहिए जो कि माध्यमिक स्तर अर्थात् उपजिले के स्तर तक पहुंचे। बालिकाओं की शिक्षा एक अनिवार्य कदम होना चाहिये। बाल-विवाह की रोकथाम हेतु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, बालिकाओं और युवतियों को वैकल्पिक अवसर प्रदान किये जाऐं और इस कार्य में पुरुष वर्ग की सहभागिता हो।

अध्याय 5 : मध्यप्रदेश में बाल-विवाह रोकथाम में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अवरोध

समाज की पितृसत्तात्मक संरचना, जो महिलाओं के दमन व लिंग आधारित भेदभाव को जन्म देती है, बाल-विवाह की प्रबल निर्धारक है। बालिकाओं की असुरक्षा की भावना, जो कि आरंभ में मुगलों और मराठाओं के विशाल साम्राज्य की सेना के कारण रही और फिर डाकुओं के आतंक, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े ऐसे कई कारक बाल-विवाह के प्रचलन को सार्थक सिद्ध करते रहे हैं। शिक्षा की कमी, कमज़ोर आर्थिक स्थिति, ग़रीबी तथा सामाजिक रीति-रिवाज, जैसे दहेज, छिकना, यौवन में प्रवेश के पूर्व बालिकाओं का कन्यादान, बालिकाओं के कौमार्य व लैंगिकता की सुरक्षा आदि ऐसे अन्य कारण हैं जो बाल-विवाह को प्रेरित करते रहे हैं। हालांकि बाल-विवाह ऐसे परिवारों में भी होते रहे हैं जो आर्थिक रूप से सम्पन्न व पढ़े-लिखे हैं। ये सभी कारण अंतर्सम्बद्ध हैं तथा एक-दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक दबाव की तीव्रता इस स्तर पर है कि अगर कोई व्यक्ति या एजेंसी, सरकारी या ग़ैर-सरकारी कानून को स्थापित करना चाहता है तो उसे उनका सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है और पूरा समाज उसके विरोध में उठ खड़ा होता है।

अध्याय 6 : बाल-विवाह पर कानून; क्रियान्वयन और प्रशासनिक आयाम

कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन व समझौते वैश्विक रूप से बाल अधिकार के मुद्दों पर बहस के लिए एक आदर्श खाका प्रस्तुत करते हैं जैसे कि मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (1948), बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रों का संधिपत्र (1989), महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर संधिपत्र (1979), विवाह की स्वीकृति, विवाह के लिए न्यूनतम आयु और विवाह के पंजीकरण पर संधिपत्र (1962), नागरिक व राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र (आईसीसीपीआर, 1966) आदि। भारत में बाल-विवाह निषेध अधिनियम (2006) एवं विवाह का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम (2006) का उद्देश्य बाल-विवाह को जड़ से समाप्त करना है। इन कानूनों के लागू होने तथा इन कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के सरकारी प्रयासों के बावजूद लोग अपने-अपने तरीकों से इन कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं। वे उम्र के जाली प्रमाण-पत्र निकलवाकर या फिर गुप्त रूप से विवाह करते हैं। इस संदर्भ में पंचायत की मदद लेते हैं या इसी तरह के अन्य रास्ते अपनाकर बाल-विवाह को अंजाम देते हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने भी बाल-विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कई योजनाओं को लागू किया है, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बाल-विवाह विरोधी अभियान, लाड़ली लक्ष्मी योजना, गाँव की बेटी योजना, रक्षा सूत्र बंधन आदि। अध्ययन ये भी दर्शाता है कि 5 प्रतिशत से भी कम मामलों में शिकायतकर्ता बालिकाओं के सच्चे हित के लिए घटना की रिपोर्ट देता है। अन्य मामलों में व्यक्तिगत द्वेष, पारिवारिक द्वेष आदि के कारण शिकायत की जाती है। प्रेम संबंधों के कारण भी लड़कों द्वारा लड़कियों की कम उम्र में शादी किये जाने की शिकायत की जाती है। मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने भी ऐसे कई कार्यक्रम व कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिनमें बाल-विवाह से सम्बंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करने के प्रयास किये गए है।

अध्याय 7 : निष्कर्ष व अनुशंसाऐं

बाल विवाह की प्रथा के पीछे कई कारण है। कारण और परिणाम एक दूसरे से इस प्रकार गुथे हुए हैं कि वह बालिकाओं और महिलाओं के लिए और चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। यह बालिकाओं के विकास को कई प्रकार से बाधित और सीमित कर देता है।

आभार

हम उन व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके संयुक्त प्रयास से यह प्रतिवेदन फलीभूत हो सका है। हम आभारी हैं मानवाधिकार आयोग मध्यप्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय न्यायमूर्ति श्री डी.एम. धर्माधिकारी, आयोग के माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री एन.एस. आज़ाद, श्री विजय शुक्ल एवं श्री रितुराज रंजन, ओ.एस.डी., मानवाधिकार आयोग के जिन्होंने अध्ययन हेतु अवसर, परिमाण व आवश्यक प्रारूप के निर्धारण हेतु संबंधित विभागों से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

हम सम्मान व्यक्त करते हैं डॉ. वर्षा जोशी, प्रो. संजय भट्ट एवं डॉ. रंजना सहगल (पैरवी कार्यकारिणी समिति के सदस्य) के प्रति जिन्होंने हमारे अवलोकनों पर अपने स्पष्ट विचार, जानकारी व अनुभव से हमारा मार्गदर्शन किया।

हम उन सभी का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता व अपने संगठनों द्वारा संसाधन, कार्यक्षेत्र, उत्तरदाताओं तक पहुँच बनाने एवं अन्य स्तरों पर अपना अमूल्य योगदान दिया। हम श्री प्रदीप जुलू, श्री ए.के. सिंह, श्री रवि कुशवाह, श्री प्रकाश, श्री पहलवानसिंह भदौरिया एवं श्री देवेन्द्र भदौरिया के आभारी हैं जिन्होंने अध्ययन के दौरान कई स्तरों पर अवर्णनीय योगदान प्रदान किया।

अध्ययन दल ने अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी संवाद स्थापित कर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जिनमें मुख्य रूप से डॉ. रंजना दीक्षित (सहायक प्राध्यापिका, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर), डॉ. नीला हरदीकर (सेवानिवृत्त अध्यापिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता), श्री अशोक पाण्डेय एवं श्री जावेद खान (पत्रकार) शामिल हैं। हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

हम आभारी हैं उन सभी बच्चों, अभिभावकों, पंचायत सदस्यों, अध्यापकों, स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग़ैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों, चिकित्सकों एवं शासकीय अधिकारियों के, जिन्होंने अपने अनुभव हमसे बांटे व आवश्यक जानकारियाँ हमें उपलब्ध कराईं।

इस अध्ययन के शोध सलाहकार श्री विनोद कोष्टी एवं पैरवी के साथी श्री प्रशांत कुमार, श्री जावेद खान व श्री दिग्विजय फुकान विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया।

यद्यपि यह प्रतिवेदन बहुत सारे व्यक्तियों का संयुक्त प्रयास है परंतु असावधानीवश हुई कमी व गलतियों के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है। आपके सुझाव/प्रतिक्रिया pairvidelhi@rediffmail.com पर आमंत्रित हैं।

अजय कुमार झा
निदेशक
पैरवी

प्राक्कथन

बच्चे आशा की किरण हैं और भविष्य की बागडोर उन्हीं के हाथों में हैं। बच्चों का विकास, जिसमें शिक्षा व मूल्यों को मन में बैठाना और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य जो उनकी क्षमता को निर्धारित करता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। विकासशील व कुछ विकसित देशों में जहाँ कि बच्चों की महत्वपूर्ण जनसंख्या है वहाँ वैश्विक स्तर पर आगामी समय में बच्चों का भविष्य अत्यंत चिंताजनक है। अभी भी बहुत से देश बाल-विवाह जैसी अत्यंत दुःखद सच्चाई और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज वैश्विक स्तर पर यह एक गंभीर चिंता का विषय है और बहुत से प्रयासों को प्रोत्साहित करता रहा है।

विश्व मानवाधिकार आंदोलन बच्चों के मुद्दों को वांछित महत्व देता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसे यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर, सीडॉ देश व नागर समाज को बाध्य करते हैं कि वे जाति व लिंग आधारित भेदभाव, जिसमें बाल-विवाह भी सम्मिलित है, को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हों। लिंग एवं जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई देशों ने कानून बनाकर अपनी गंभीर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जबकि विवाह कानून, सामुहिक व व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर, बाल-विवाह के रूप में किये जाने वाले बालिकाओं के प्रति भेदभाव को संबोधित करने में असफल रहे हैं। भारत भी इस सामाजिक दोष को समाप्त करने, बच्चों को बाल-विवाह सहित शोषण के अन्य रूपों के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती का सामना कर रहा है।

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग राज्य में हो रहे बाल-विवाहों से अवगत है। राज्य में बाल-विवाहों को रोकने के लिए आयोग द्वारा कई प्रयास किये गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में बाल-विवाह के दर्ज मामलों में कमी आई है, तथापि दर्ज मामलों के इतर भी यह सुनिश्चित किया गया है कि बाल-विवाह के विरूद्ध कानून प्रभावी हो और विवाह के कारण बच्चों की रुचियों का बलिदान न हो। मामलों में हस्तक्षेप के अलावा आयोग ने वैकल्पिक नीतियों और क्रियान्वयन के संदर्भ में भी अपने आलोचनात्मक सुझाव प्रदान किये हैं।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग का पैरवी के साथ मिलकर किया गया एक प्रयास है। मध्यप्रदेश के तीन जिलों में किये गए त्वरित मूल्यांकन का यह प्रतिवेदन बाल-विवाह की रोकथाम के लिए कारकों और कारणों पर अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आयोग पैरवी को सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और उम्मीद करता है कि यह प्रतिवेदन सरकार व नागर समाज दोनों के लिए ही नीति निर्धारण व कार्यप्रणाली के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

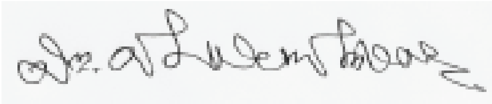

न्यायमूर्ति डी.एम. धर्माधिकारी
अध्यक्ष
मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग
श्यामला हिल्स, भोपाल

जनसंख्या 3.5 प्रतिशत है, अन्य दो जिलों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या न के बराबर है। भिण्ड, मुरैना व ग्वालियर मध्यप्रदेश के न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं, जहाँ प्रति हजार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या क्रमशः 822, 829 एवं 848 है। इस सबके बावजूद इन तीन जिलों में साक्षरता दर राज्य व राष्ट्रीय औसत से उच्च है तथा शिशु मृत्यु दर भी इन तीनों जिलों में राज्य व राष्ट्रीय औसत से निम्न है।

अध्याय 4 : मध्यप्रदेश में बाल विवाह

यह अध्ययन प्रदर्शित करता है कि मध्यप्रदेश के तीनों जिलों में लड़कियों के विवाह के लिए अतिमहत्वपूर्ण निर्धारक उनका यौवन में प्रवेश है। इस अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75 प्रतिशत बालिकाओं का विवाह १४-१७ वर्ष की उम्र में किया जा रहा है। जबकि नगरीय क्षेत्र में यह लगभग 60 प्रतिशत है। जहाँ तक मध्यप्रदेश के बालकों का प्रश्न है यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 68 प्रतिशत बालकों का विवाह 16—19 वर्ष की उम्र में किया जा रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 40 प्रतिशत है।

राज्य एवं नागर समाज संगठनों के प्रयास से बाल-विवाह कानून के विषय के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। शिक्षा एवं जागरूकता के अलावा सजा का डर, विवाह की उम्र में एक सहायक उपकरण सिद्ध हुआ है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनसे यह पता चलता है कि विगत पाँच वर्षों में विवाह की उम्र में वृद्धि देखी गई है। हालांकि अध्ययन यह बताता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा इन क्षेत्रों के सुदूर गाँवों में यह स्थिति और भी बदतर है। यद्यपि लोग अपनी लड़कियों का विवाह उनके किशोरावस्था में आने के उपरांत करना ही पसंद करते है परंतु इन क्षेत्रों में वैसे मामले अब भी पाए जाते हैं जहाँ लड़कियों का विवाह 14 वर्ष से कम उम्र में हुआ है। इस अध्ययन के अनुमान के अनुसार लगभग 5 प्रतिशत लड़कियों और 3 प्रतिशत लड़कों का विवाह अभी भी 14 वर्ष से कम उम्र में देखा जा रहा है।

यद्यपि लोग विवाह की 'कानूनी उम्र' की पूरी तरह से जानकारी रखते हैं परंतु वे लड़कियों के विवाह की 'सही उम्र' उनका यौवन में प्रवेश करना ही मानते हैं। लड़कों के संदर्भ में उनके विवाह की उम्र का निर्धारण मूँछ के आने आदि द्वितीयक लैंगिक/शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। लड़कियों के संदर्भ में यह सुरक्षा के सवाल से जुड़ा है, वहीं लड़कों में मर्दानगी व पुरूषत्व के सबूत के रूप में देखा जाता है। अध्ययन वृहद रूप से अवलोकित करता है कि इन तीनों जिलों में लड़कियों की वैवाहिक उम्र साधारणतया 14—17 वर्ष है, जबकि लड़कों की उम्र 16—19 वर्ष।

यह भी देखा गया कि अधिकतर विवाह बालक एवं बालिकाओं के विवाह की कानूनी उम्र से तुरंत पहले घटित हो रहे हैं। चूँकि यहाँ के लोग आमतौर पर जन्म का पंजीकरण नहीं कराते अतः इन बच्चों की उम्र का कानूनी प्रमाण मिलना सम्भव नहीं हो पाता। जन्म का कोई कानूनी प्रमाण न होना विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिए एक 'वरदान' के समान होता है। फलतः वह विभिन्न स्रोतों से अपनी सुविधानुसार जन्म संबंधी जाली प्रमाण-पत्र बनवा लेते हैं। अगर बालक व बालिका की बढ़ाई हुई उम्र को ध्यान में रखा जाए तो ऐसे विवाहों का प्रतिशत काफी ज्यादा हो जाएगा। इस बात को नज़रअंदाज़ करते हुए यह अध्ययन ग्रामीण मध्यप्रदेश के लगभग 20 प्रतिशत बालिकाओं और लगभग 29 प्रतिशत बालकों को अनुमानित करता है जिनका विवाह कानूनी उम्र में अथवा उससे ऊपर की उम्र में किया गया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत विवाह बालक-बालिकाओं की कानूनी उम्र से पहले हो रहे हैं। अर्थात् बाल-विवाह की घटनाऐं ग्रामीण मध्यप्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत विवाहों में अब भी देखी जा रही हैं। हालांकि मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत बालिकाओं का विवाह उनके विवाह की कानूनी उम्र पर अनुमानित है और बालकों में यह स्थिति 60 प्रतिशत के लगभग आंकी गई है।

सार-संक्षेप

पैरवी द्वारा मध्यप्रदेश में किये गए बाल-विवाह पर अध्ययन का सार संक्षेप इस प्रकार है -

अध्याय 1 : परिचय

इतिहास गवाह है कि भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों की विविध संस्कृतियों में बाल-विवाह का प्रचलन रहा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो महिला व बालिका अधिकारों की स्थापना में हमेशा से अवरोध उत्पन्न करती रही है। परिणामतः जन्म दर बढ़ना, ग़रीबी व कुपोषण, बड़े पैमाने पर निरक्षरता, उच्च शिशु मृत्यु दर तथा निम्न जीवन प्रत्याशा विशेषतः ग्रामीण महिलाओं में देखी जा सकती है। जबकि 21वीं सदी में भारत को अग्रणी अर्थव्यस्था तथा वैश्विक राजनीति में नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रक्षेपित किया जा रहा है। यह भी आवश्यक है कि वह बाल-विवाह, बालिका भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, लिंग-भेद आदि मुद्दों को सम्बोधित करने हेतु एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा करे। बाल-विवाह की घटनाऐं देश के विभिन्न भागों में व्यापक रूप से प्रचलन में हैं। वे राज्य जिनमें बाल-विवाह की घटनाऐं बड़े पैमाने पर हैं, वो हैं - मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश व छत्तीसगढ़।

अध्याय 2 : अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन ऐसी अनुभूति का परिणाम है जो बाल-विवाह के विरुद्ध ऐतिहासिक प्रयत्नों के बावजूद अब तक बनी हुई है और वर्तमान के संदर्भ में अपेक्षाकृत मजबूत रूप से बनी हुई है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में बढ़ती हुई बाल-विवाह की स्थितियों की विवेचना करना है। साथ ही यह अध्ययन बाल-विवाह के विरुद्ध स्थापित कानूनी तंत्र में कमियों एवं ज़मीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की कमियों का विश्लेषण करता है।

यह अध्ययन मध्यप्रदेश के तीन जिलों भिण्ड, मुरैना एवं ग्वालियर में किया गया, जहाँ पर लिंग अनुपात न्यूनतम है तथा बाल-विवाह की दर उच्चतम। प्राथमिक रूप से यह अध्ययन गुणात्मक है जिसकी संरचना व्याख्यात्मक है, जो कि समुदाय के लोगों, शासकीय अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, गाँव के प्रभावी व्यक्तियों, पंचायत सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बाल-विवाह में संलिप्त 156 हितभागियों के प्रत्युत्तरों पर आधारित है।

अध्याय 3 : चयनित जिलों का विवरण

बाल-विवाह भारत में अत्यधिक रूप से प्रचलित है। सर्वोपरि 5 राज्य जैसे कि मध्यप्रदेश (73 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (71 प्रतिशत), राजस्थान (68 प्रतिशत), बिहार (67 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (64 प्रतिशत) में विवाह कानूनन निर्धारित आयु से कम आयु में हो रहे हैं। आई.आई.पी.एस. (1999) के अनुसार मध्यप्रदेश में लड़कों की औसत वैवाहिक उम्र 21.9 वर्ष एवं लड़कियों की औसत वैवाहिक उम्र 18.1 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में लिंग अनुपात 920 है साथ ही देश मे उच्चतम शिशु मृत्युदर (88) वाला क्षेत्र है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ महिलाओं की (ख़ासकर ग्रामीण) स्थिति अत्यंत ख़राब है।

इन तीन जिलों में ग्वालियर की जनसंख्या 1.63 मिलियन, तत्पश्चात् मुरैना और भिण्ड की जनसंख्या क्रमशः 1.59 मिलियन व 1.43 मिलियन है। मुरैना में ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम है जबकि ग्वालियर में नगरीय जनसंख्या अधिकतम है। तीनों ही जिलों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान है जो कि क्रमशः 21.5 प्रतिशत, 21.1 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत है। ग्वालियर को छोड़कर, जहाँ कि अनुसूचित जनजाति की

विषय-सूची

1. परिचय
1.1 बाल-विवाह : परंपरा
1.2 भारत में बाल-विवाह
1.3 मध्यप्रदेश में बाल-विवाह

2 अध्ययन पद्धति
2.1 साहित्य समीक्षा
2.1.1 भारत में बाल-विवाह के प्रादुर्भाव की खोज
2.1.2 बाल-विवाह पर विधिक संभाषण
2.2 अध्ययन के उद्देश्य
2.3 कार्य पद्धति
2.3.1 शोध प्रारूप
2.3.2 अध्ययन का क्षेत्र
2.3.3 प्रतिचयन योजना
2.3.4 आधार सामग्री के स्रोत
2.3.5 आधार सामग्री संग्रहण की पद्धति
2.3.6 आधार सामग्री संग्रहण के साधन
2.4 अध्ययन की सीमाऐं
2.5 नैतिक विवेचन

3. चयनित जिलों का विवरण
3.1 मध्यप्रदेश का विवरण
3.2 भिण्ड, मुरैना एवं ग्वालियर का विवरण
3.2.1 भिण्ड, मुरैना एवं ग्वालियर के जनसंख्या संबंधी आंकड़े
3.2.2 तीनों जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
3.2.3 भिण्ड, मुरैना एवं ग्वालियर में लिंग अनुपात
3.2.4 साक्षरता एवं शैक्षिक स्तर
3.2.5 स्वास्थ्य स्थिति

4. मध्यप्रदेश में बाल-विवाह
4.1 चयनित क्षेत्र में विवाह की परिपाटी
4.1.1 किस प्रकार विवाह समारोहपूर्वक होते हैं
4.1.2 विवाह के समय उम्र

4.2 लोग कैसे विधिक व्यवस्था को टालते हैं
4.2.1 नकली आयु प्रमाण-पत्र प्राप्त करना
4.2.2 शासकीय अधिकारियों को टालना
4.2.3 पंचायत अधिकारियों का सहयोग
4.2.4 एकाएक रस्में बना लेना
4.2.5 सामुहिक विवाह
4.3 मध्यप्रदेश में बाल-विवाह का प्रचलन
4.4 मध्यप्रदेश में बाल-विवाह की घटनाऐं : मामलों का अध्ययन
4.5 बाल-विवाह के विरुद्ध आवाज़

5. मध्यप्रदेश में बाल-विवाह नियंत्रण में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अवरोध
5.1 समाज की पितृसत्तात्मक संरचना
5.2 महिलाओं की परवशता
5.3 लिंग आधारित भेदभाव
5.4 क्षेत्र में लड़कियों की सुरक्षा का अभाव
5.4.1 मुगलों और मराठाओं के महान साम्राज्य की सेनाओं का आतंक
5.4.2 डकैतों का आतंक
5.4.3 महिला विरुद्ध अपराधों में वृद्धि
5.4.4 लड़कियों की सुरक्षा से जुड़े कारक
5.5 शिक्षा का अभाव
5.6 कमज़ोर आर्थिक स्थिति
5.6.1 ग़रीबी
5.6.2 बेटी बोझ है
5.6.3 दहेज
5.7 रीति-रिवाजों के अनुसरण के लिए सामाजिक दबाव
5.7.1 छिकना
5.7.2 तरुणाई के पूर्व लड़कियों के कन्यादान की परंपरा
5.7.3 लड़कियों के कौमार्य की सुरक्षा

6. बाल-विवाह पर कानूनः
क्रियान्वयन और प्रशासनिक आयाम
6.1 बाल-विवाह पर अंतर्राष्ट्रीय कानून
6.1.1 मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा-पत्र, 1948
6.1.2 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रों का संधिपत्र, 1989
6.1.3 महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर संधिपत्र, 1979
6.1.4 विवाह की स्वीकृति, विवाह के लिए न्यूनतम आयु और विवाह के पंजीकरण पर संधिपत्र, 1962
6.1.5 नागरिक व राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र (आईसीसीपीआर)
6.1.6 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र (आईसीईएससीआर)
6.2 भारत में बाल-विवाह रोकथाम के लिए विधिक प्रावधान
6.2.1 बाल-विवाह (नियंत्रण) अधिनियम (सीएमआरए), 1929 (1978 में संशोधित)
6.2.2 बाल-विवाह (निषेध) अधिनियम, 2006
6.2.3 विवाह का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2006
6.3 बाल-विवाह के विरुद्ध शासकीय पहल
6.3.1 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
6.3.2 बाल-विवाह विरोधी अभियान
6.3.3 लाड़ली लक्ष्मी योजना
6.3.4 गाँव की बेटी योजना
6.3.5 रक्षा सूत्र बंधन
6.4 ज़मीनी स्तर पर विधिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली
6.5 मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा बाल-विवाह रोकने के लिए की गई पहल

7. निष्कर्ष और अनुशंसाऐं

संदर्भ

संलग्नक 1 : शोध अध्ययन में प्रयुक्त साधन
संलग्नक 2 : प्रमुख हितधारकों के साक्षात्कार हेतु दिशा-निर्देश
संलग्नक 3 : बाल-विवाह नियंत्रण अधिनियम, 1929
संलग्नक 4 : बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 2006
संलग्नक 5 : भारत के विधि आयोग की अनुशंसाऐं
संलग्नक 6 : अध्ययन दल के बारे में